डाक-व्यय की पूर्व अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. अनुमति-पत्र क्र. रायपुर-सी.जी.

पंजी क्रमांक रायपुर डिवीजन



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 3] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 5 जनवरी 2001—पौष 15, शक 1922

योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग

मंत्रालय, डी. के. एस. भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 26 दिसम्बर 2000

आदेश

क्रमांक 353/2000/यो आ सा वि.—राज्य शासन द्वारा जन्म-मृत्यु पंजीयन योजना के संबंध में जिला अन्तर्विभागीय समन्वय समिति का गठन निम्नानुसार किया जाता है :—

1. जिला पुलिस अधीक्षक	अध्यक्ष
2. जिला रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) एवं जिला सांख्यिकी अधिकारी	सदस्य सचिव
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत	सदस्य
4. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	सदस्य
5. महिला एवं बाल विकास अधिकारी	सदस्य
6. अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व	सदस्य
7. स्थानीय रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) नगरीय	सदस्य

2. उक्त समिति का गठन जन्म-मृत्यु पंजीयन योजना के कार्यान्वयन में किसी भी स्तर पर उत्पन्न गत्यावरोध को हटाने एवं कार्यान्वियन एजेंसी को मार्गदर्शन उपलब्ध कराने के लिये किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. पी. त्रिवेदी, अपर सचिव.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2001.